



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1943 (श०)
(सं० पटना 82) पटना, बृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2022

सं०-10/प्र०गृ०स्था०-06/2015-313

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

संकल्प

14 फरवरी 2022

विषय- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87 में निहित प्रावधान के आलोक में चयन समिति का गठन।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87 में निहित प्रावधान के आलोक में चयन समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

i.	मा० न्यायमूर्ति, श्रीमती मृदुला मिश्रा (सेवानिवृत्त)	-	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय	-	सदस्य सचिव
iii.	सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-	सदस्य
iv.	सिस्टर मैरी सुजीता मसाल, कुर्जी, पटना	-	सदस्य
v.	श्रीमती गार्गी साहा, बाल संरक्षण पदाधिकारी, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, यूनिसेफ	-	सदस्य
vi.	प्र०० हब्बीबुल्लाह अंसारी, सह प्राध्यापक, ए०एन० सिन्हा इंस्टीच्यूट, पटना	-	सदस्य

vii.	प्रो० गणेश पाण्डेय, सह प्राध्यापक, चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना	-	सदस्य
viii.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य सेवा के विशेष सचिव स्तर से अन्यून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के नामित पदाधिकारी	-	सदस्य

2. चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य में लागू किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015/नियमावली की संगत धाराओं/ नियमों के अंतर्गत निहित शक्तियाँ प्राप्त होगी।

3. समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमेश कुमार झा,
संयुक्त निदेशक (मु०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 82-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>